

2.01.18

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एवं संधारित पंजी II के पृष्ठ संख्या 85 जमाबंदी रैयत बोलु मांछी, भुइल मांछी पिता ^{नयान मांछी} के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जबर दखलबुज नं० 152/64-65 खाता 03 प्लॉट 70.5 रकवा 11.50 अंकित है। लगान रसीद वर्ष 1955-56 से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पूर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में 1. मानील वास्डी 2. अमिल हेम्ब्रम पिता बोलु मांछी 3. विनीलाल हेम्ब्रम पिता भुइलु मांछी 4. मोती लाल हेम्ब्रम 5. मनाल हेम्ब्रम 6. जितलाल वास्डी का प्रश्नगत सरकारी भू-खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा-2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार राँची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तों को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्तमान उत्तराधिकारियों 1. मानील वास्डी 2. अमिल हेम्ब्रम पिता बोलु मांछी एवं अन्य के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

पुनःश्च अभिलेख उपस्थापित। उक्त अभिलेख में दर्ज गत सर्वे
खतियान के अनुसार मौजा गौरांगडीह थाना सं० 137 खाता सं०
03 प्लॉट सं० 705 रकवा 11 डी० का हाल सर्वे खतियान के
अनुसार नया खाता 111 नया प्लॉट सं० 1076
रकवा 11 डी० भूमि मुख्य मार्ग से 150 मीटर की अधिक दूरी पर अवस्थित
है। पूर्व में बन्दोवस्ती नहीं मिली हैं। उक्त वर्णित भू-खण्ड को जमाबंदी रैयत
के उत्तराधिकार मानील वास्वी, अनिल हेमचन्द्र पिता बोलू
माँझी एवं अन्य के नाम से नियमितीकरण करने
की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
धनबाद को भेजें।


13/01/18
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर